!! कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

कमांक : स्था./86/2025/ 39267 दिनांक : 04 DEC 2025

:: आ दे श ::

I

निम्नांकित कर्मचारीगण के सामने कॉलम संख्या–4 में अंकित न्यायालय में की गयी प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था को प्रशासनिक आधार पर तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	मूल पदस्थापन न्यायालय	प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था न्यायालय
1	2	3	4
1	श्री रामकिशन सैनी, शरिस्तेदार ग्रेड द्वितीय	अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–2, राजगढ	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजगढ
2	श्री मनीष कुमार शर्मा, लिपिक ग्रेड प्रथम	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजगढ	अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–2, राजगढ
3	श्रीमती हरजीत कौर, लिपिक ग्रेड द्वितीय	विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन. आई.एक्ट केसेज) संख्या–3, अलवर	विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर

II

निम्नांकित कर्मचारीगण को प्रशासनिक कार्यव्यवस्था के तहत तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेश तक कार्य करने हेतु निम्न प्रकार लगाया जाता है :–

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	मूल पदस्थापन न्यायालय	कार्यव्यवस्था न्यायालय
1	2	3	4
1	श्रीमती हरजीत कौर, लिपिक ग्रेड द्वितीय	विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन. आई.एक्ट केसेज) संख्या–3, अलवर	अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–2, अलवर

III

इस कार्यालय में पदस्थापित श्री गिरीश गुप्ता, लिपिक ग्रेड प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि वे आगामी आदेश तक उन्हें पूर्व में सौंपे गये कार्यो के अतिरिक्त श्री सर्वेश शर्मा, लिपिक ग्रेड प्रथम की सेल अमीन के पद के कार्यो में सहायता करेंगे।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अलवर (राज0)

नोट–

1– कार्यालय आदेशों की पालना 03 कार्य दिवसों में आवश्यक रूप से की जाये।

2– आदेश कम–I में अंकित कर्मचारी की पूर्व प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था न्यायालय से प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था समाप्त कर, सीधे ही आदेश कम– II में अंकित न्यायालय में कार्यव्यवस्था में लगाये जाने से कर्मचारीगण को पूर्व प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था कार्यालय से औपचारिक रूप से कार्यभार मुक्त कर सीधे ही कार्यव्यवस्था कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जावे।

3– आदेश कम– II में अंकित कर्मचारी को निर्देश है कि वे इस कार्यालय के आदेश कमांक स्था./51/2023/22518 दिनांक 24.07.2023 में दिये गये निर्देशानुसार अपने पूर्व पद (प्रोसेस सर्वर/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) का कार्य पूर्ववत करेगी।

4– कर्मचारियों की कार्यमुक्ति आदेश व उपस्थिति रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार इस कार्यालय को भिजवाई जावे।

Sd-
(अनन्त भण्डारी)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र

कमांक : स्था./2025/ 39268–284 दिनांक : 04 DEC 2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर
2. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजगढ
3. अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2 राजगढ
4. विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट केसेज) सं. 3, अलवर
5. नाजिर, जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर
6. संबंधित कर्मचारी/व्यक्तिगत पत्रावली/लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली
7. सिस्टम ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बंधित न्यायालयों को ई–मेल करने हेतु।

(अनन्त भण्डारी)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र